न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–624/2026

(बेलदौर थाना काण्ड संख्या 286/2025)

अखिलेश कुमार– बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

02.07.2026 **आदेश**

1. आवेदक/अभियुक्त **अखिलेश कुमार** की ओर से बेलदौर थाना काण्ड संख्या 286/2025 धारा 96,74,352,351(2), 351(3),3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेश दास को सुना गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तेतरी देवी एवं योगी यादव का संयुक्त शपथ–पत्र दाखिल किया गया है। मूल अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी की सत्यापित प्राप्त है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदक कोई अन्य जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। पीड़िता ने धारा 164 में कही है कि हमको इस काण्ड के अभियुक्तगण जबर्दस्ती कहीं भगाकर नहीं ले गया था, हम अपने इच्छा से ननिहाल चली गयी थी, कुछ दिन बाद हम वापस आयी और राजी–खुशी से अखिलेश कुमार के साथ शादी कर ली। इस घटना में लिखी गयी सारी बात जाल–फरेब एवं झूठी है और कोई घटना नहीं घटी है। अपहृता एवं मुदालय का संबंध अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अपहृता उपस्थित है तथा स्वयं आवेदक से शादी करने की बात कहती है।

4. अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभियोजन का मामला मुख्य रूप से यह है कि दिनांक 30.08.2025 को दिन में सूचिका की नावालिग पुत्री तोफी कुमारी उम्र 15 वर्ष के कोचिंग जाने के दौरान रास्ते में अखिलेश कुमार पिता जोगी यादव साकिन नारदपुर, थाना बेलदौर, जिला खगड़िया चार–पाँच अज्ञात लड़का के साथ देशी कट्टा के साथ सड़क पर घात लगाये हुये था तथा जैसे ही उसकी पुत्री तोफी कुमारी उक्त स्थल पर पहुँची कि उक्त सभी

02-7-26

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-624/2026
(बेलदौर थाना काण्ड संख्या 286/2025)
अखिलेश कुमार- बनाम- बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

लगातार, पेज-2
02.07.2026

उसकी पुत्री के कनपट्टी में देशी कट्टा सटाकर भयभीत करते हुये जबर्दस्ती चार चक्का वाहन में बैठाकर अपहरण करके फरार हो गया। उसकी पुत्री घर वापस नहीं आयी तो खोजबीन करने लगी तब उसे राह चलते मुसाफिरों के द्वारा घटना की जानकारी हुई। सूचिका अपने परिजनों के साथ अपनी पुत्री की खोजबीन करने हेतु अखिलेश कुमार के घर पर गयी तो जोगी यादव पिता स्व0 बुधन यादव, सर्वेश कुमार पिता छबिला यादव, छबिला यादव पिता स्व0 रमभज्जू यादव, फुलचन्द्र यादव पिता भूटो यादव, भूटो यादव पिता स्व0 बुधन यादव, रंजीत यादव पिता भूटो यादव, बुलबुल देवी पति जोगी यादव, अमृता देवी पतिरंजीत याव, पिंकी देवी पति चन्द्रकिशोर यादव ने उसे एवं उसके परिजनों को अभद्र गाली-गलौज करते हुये जान मारने की नियत से लाठी, डंडा व लोहे के रड एवं अवैध हथियार से लैश होकर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया एवं उसे अर्द्धनग्न करके मारपीट किया तथा धमकी दिया कि तुम्हारी पुत्री की हत्या करवाकर उल्टे केस में फसा देंगे।

5. अवलोकन से विदित है कि आवेदक के विरूद्ध सूचिका की पुत्री तोफी कुमारी के कनपट्टी में देशी कट्टा सटाकर अपहरण कर ले जाने का आरोप है। अभिलेख में अपहृता तोफी कुमारी का न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी0एन0एस0 के अंतर्गत दिया गया बयान संलग्न है जिसमें उसकी उम्र 18 वर्ष होना अंकित है तथा उसने कही है कि "मॉं-बाप पढ़ाई को लेकर डांटे थे, मैं नानी के यहॉं चली गयी, नानी के घर पर ही थी, अखिलेश से दिनांक 16.01.2026 को मर्जी से शादी की, मामा ससुर आये हैं, ससुराल जाउँगी''। विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा अपहृता के उम्र एवं उसके बयान के आलोक में उसके बताये गये पता पर उसे सुरक्षित पहुँचाने का आदेश दिया गया है। अपहृता तोफी कुमारी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर कथन की है कि उसे किसी के द्वारा अपहरण नहीं किया गया है, वह स्वयं जाकर अखिलेश कुमार से शादी किया है तथा अभी उसी के साथ ससुराल में रह रही हूँ, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और न ही

02-7-26

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–624/2026

(बेलदौर थाना काण्ड संख्या 286/2025)

अखिलेश कुमार– बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

<u>लगातार, पेज–2</u>

02.07.2026

किसी से कोई शिकायत है। आवेदक के पिता योगी यादव एवं माता तेतरी देवी की ओर से शपथ–पत्र दाखिल किया गया है कि उसका पुत्र अखिलेश कुमार उनकी सहमती से तोफा कुमारी के साथ शादी किया है तथा राजी–खुशी से रह रही है, उसे कभी भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं दिया जायेगा।

6. अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के इस अग्रिम जमानत आवेदन को तीन माह के लिये औपबंधिक रूप से **स्वीकृत** किया जाता है तथा इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/–(दस हजार) रूपये के दो जमानतदारों द्वारा बंधपत्र दाखिल करने एवं विद्वान संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा 482 बी0एन0एस0 के शर्तों के साथ औपबंधिक रूप से अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक शपथ–पत्र दाखिल करेगा कि वह अपहृता को सम्मानपूर्वक रखेगा तथा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा। आवेदक दिनांक 06.10.2026 को अपहृता के साथ न्यायालय में उपस्थित होगा।

(लेखापित एवं शुद्धित)
02-7-26
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
खगड़िया।

Date of Judgment/Order	02-07-2026
Date of Reserving judgment/Order	-----
Uploading Date	09.07.26
Uploaded by	Nilesh Kumar (DEO)